

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

::आदेश::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका (Review Petition) (C) /2024 [Diary No- (s) 4961/2024 पद Civil Appeal No-7873/2023 में दिनांक 10.12.2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का (In Service Training), डिप्लोमा (D-EI-Ed) धारण करने वाले अभ्यर्थियों (TRE-1 पूरक) का विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2025 एवं दिनांक 11.03.2025 को Document Verification कराया गया। इसके पश्चात् ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते हुए इनके Document Verification का कार्य सम्पन्न किया गया।

इस मध्य बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं0-27/2023 अन्तर्गत खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का (In Service Training), डिप्लोमा (D-EI-Ed) धारण करने वाले 11 अभ्यर्थियों (TRE-2 Main Result) की अनुशंसा उपलब्ध करायी गई है।

विभाग द्वारा 18 महीने का (In Service Training), डिप्लोमा (D-EI-Ed) धारण करने वाले अभ्यर्थियों के Document Verification हेतु पूर्व में निर्धारित कतिपय शर्तों में छूट देने का निर्णय लिया गया। इस हेतु विज्ञापन सं0-27/2023 (TRE-2 Main Result) अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का (In Service Training), डिप्लोमा (D-EI-Ed) धारण करने वाले अनुशंसित कुल 11 अभ्यर्थियों का पुनः Document Verification का निर्णय लिया गया है।

2. तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थियों को Verification के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना है।

3. सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का Verification उनके आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर किया जायेगा। यह Verification दिनांक **17.02.2026** को सम्पन्न किया जाएगा।

4. निर्धारित दिवस को Verification का कार्य पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ होगा एवं अपराह्न 5:00 बजे तक पूर्ण कर लिया जाएगा।



5. **Verification से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश (अभ्यर्थी के लिए) :-**

निर्धारित तिथि को Verification हेतु उपस्थित होने वाले अनुसंशित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जायेगा :-

- (i) बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा, 2023 का मूल प्रवेश-पत्र एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ii) मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (iii) सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, की एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (iv) CTET/BTET उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (v) पासपोर्ट साईज का तीन फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया गया था।
- (vi) आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (vii) अनुसंशित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंकड मोबाईल नं० के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ लायेंगे।

6. **जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश :-**

- (i) Verification स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था।
- (ii) निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रतिनियोजन।
- (iii) काउंटर पर आवश्यक उपकरणों, यथा-कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।
- (iv) काउंसिलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था।
- (v) Verification कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल का गठन।
- (vi) Verification स्थल पर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना।
- (vii) प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ लिया जायेगा।
- (viii) Verification में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना।





- (ix) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे, जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्कड हो।
- (x) किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण-पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जायेगा।
- (xi) Verification पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
- (xii) जाँच के क्रम में चार स्थिति उत्पन्न हो सकती है :-
- (a) Verification के दौरान प्रमाण-पत्र मिलान के पश्चात् सही पाया गया।
- (b) Verification के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात् संदेहास्पद पाया गया।
- (c) Verification के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात् प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया।
- (d) Verification के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

7. उपरोक्त क्रमांक xii(a) से xii(c) के अनुसार पाये गये प्रमाण पत्रों को सील बन्द बक्स में जिला शिक्षा पदाधिकारी को Verification दल द्वारा उपलब्ध करायेगा।

उपरोक्त क्रमांक xii(d) में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अन्तिम मौका देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक तिथि निर्धारित किया जायेगा।

8. अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद/फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा।

9. Verification स्थल पर अभ्यर्थियों के Verification की विडियोग्राफी करायी जायेगी।

अनुलग्नक :- कुल 11 अभ्यर्थियों का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये जिला आवंटन सूची।


(विक्रम विकर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 07 / विविध-25 / 2019.....625..

पटना, दिनांक-.....06/02/26.....

प्रतिलिपि : 1. संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



2. संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 07 / विविध-25 / 2019.....625.....

पटना, दिनांक-06/02/26.....

प्रतिलिपि : M/S Innovatiview India Ltd, Regd. Office: A-82, Basement, Girdhari Lal Goshwami Marg, Naraina Industrail Area, Phase 1 New Delhi-110028 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि Biometric Verification (Digital Fingerprint Capturing & Facial Recognition) का सत्यापन कर ई-शिक्षाकोष/काउंसलिंग पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

S NO	Roll No.	Name	Class	subject	Allotted District
1	675235	Kanchan Kumari	I-V	संज्ञान	Madhepura
2	110815	Anuradha Kumari	I-V	संज्ञान	KHAGARIA
3	110815	Anuradha Kumari	VI-VIII	Subject Specific Teacher (Hindi)	E Champaran
4	370828	Abhishek Kumar Madhav	VI-VIII	Subject Specific Teacher (Science & Mathematics)	Rohatas
5	380548	Shabana Khatoon	I-V	उर्दू	Gopalganj
6	263816	Md. Matloob	VI-VIII	Subject Specific Teacher (SST)	Bhojpur
7	675187	Gitanjali Kumari	I-V	संज्ञान	Khagaria
8	419392	Avadesh Prasad Sah	VI-VIII	Subject Specific Teacher (English)	Samastipur
9	706902	Md.Nizamudin Ansari	I-V	उर्दू	Munger
10	168241	Manoj Paswan	I-V	संज्ञान	Madhepura
11	486675	S N Thakur	VI-VIII	Subject Specific Teacher (English)	Patna
12	447813	Deep Narayan Yadav	VI-VIII	Subject Specific Teacher (Hindi)	Araria